न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

सीन अधिकारी :– श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी

मु.न. 07 / 2021

प्रार्थी

1. कृष्णराम पुत्र जेमलराम
   जाति मेगवाल निवासी रामेला का तला
   तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

विप्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम 2010

–: निर्णय :–

दिनांक :– 31/08/21

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A रा.का.अ. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी में खेत खसरा नम्बर 1657 / 1 रकबा 24–09 बीघा किस्म बारानी दोयम का आया हुआ है इसमें आने जाने हेतु कोई राजकीय कटान मार्ग नहीं है, सरकारी कटान मार्ग तक पहुंचने के लिये हमारे पाडौस के विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1652 रकबा 8–07 बीघा में से आ जा सकते हैं तथा इसी रास्ते का उपयोग करते आ रहे हैं। अतः हमारी खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 1657 / 1 से कटान मार्ग तक आवागमन हेतु विप्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा गुड़ामालानी के खसरा नम्बर 1652 में से संलग्न "परिशिष्ठ–अ" अनुसार राजस्व रेकर्ड में कटान मार्ग अपलिखित करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिर्पोट कमांक 1097 दिनांक 25.06.2021 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1657 / 1 रकबा 24–09 बीघा के दक्षिण की ओर खसरा नम्बर 1652 रकबा 8–07 बीघा भूमि बारानी दायेम 6 वर्ष या अधिक [illegible] हेतु) सरकारी भूमि आई हुई जो कटान मार्ग के सम्पर्क में है। [illegible] प्रार्थी द्वारा 30 फीट चौडा रास्ता चाहा गया है। प्रस्तावित इस [illegible] के अतिरिक्त प्रार्थी [illegible] खेत में राजकीय कटान मार्ग तक पहुंचने का [illegible] कोई विकल्प विद्य[illegible]हीं है। खसरा नम्बर 1652 में प्रसतावित रास्ते की लम्बाई 120 फीट चौडाई 30 फीट एवं कुल रकबा 0–04 बीघा होगा। प्रस्तावित रास्ते पर किसी प्रकार का कब्जा अथवा पक्का निर्माण नहीं है। आवेदन से पूर्व व वर्तमान में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित भूमि में रास्ते का उपयोग किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.14 16:21:38 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थीगण के आवेदन पर मामले [illegible] के [illegible] हुए तथा प्रार्थी की अत्यधिक आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मौका रिपोर्ट क्रमांक 1097 दिनांक 25.08.2021 के संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए "लाल रंग मार्क" अनुसार कटान मार्ग से प्रार्थी की आराजी खेत खसरा संख्या 1657/1 ग्राम गुड़ामालानी में आने-जाने हेतु विप्रार्थी खातेदारी भूमि ग्राम गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 1653 में से लम्बाई 120 फीट चौड़ाई 30 फीट एवं कुल रकबा 0-04 बीघा रास्ते हेतु बरंग 'लाल' संलग्न नक्शा अनुसार 'रास्ता' घोषित किए जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत किया गया परिशिष्ट 'अ' मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस को निर्णय का आवश्यक अंग मानते हुए प्रार्थी को उपरोक्तानुसार प्रस्तावित 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तों के अनुरूप होगा।

प्रार्थी द्वारा रास्ता प्राप्त करने के एवज में कितनी राशि का भुगतान विप्रार्थीगण को किया जाएगा, इस हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) (संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(1) (11)(अ) में स्पष्ट है कि अगर समझौते में क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं है तो जिला स्तरीय कमेटी (DLC) द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। और अगर कोई अन्य पेड़, फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो अध्याय 70(2) के अन्तर्गत उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

निर्णयानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचालित DLC द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा प्रार्थी को अवगत कराई जाएगी। तहसीलदार द्वारा गणना उपरांत बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण को 'रास्ते' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी जो DLC द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक को प्रचलित दर की दो गुणा के बराबर होगी।

प्रार्थी द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थी को प्रदान करने के उपरांत ही तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा [illegible] की सीमांकन तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करता हो तो प्रार्थी द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जाएगी। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थी को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.14 16:21:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में 'रास्ते' के रूप में दर्ज होगी। प्रार्थी को इस प्रकार दर्ज भूमि को 'रास्ते' के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे। रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थी को नया रास्ता दिए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार गुडामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31/08/21 को खुले न्यायालय मजमेआम में सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.14 16:21:38 IST
Reason: SelfAttested